(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 30 December, 1999

NOTIFICATION

S. No.

It is notified for general information that the enterprises/industrial undertakings, listed at para (3) below have been approved by the Central Government for the purpose of section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income-tax Rules, 1962, for the assessment years 1999-2000, 2000-2001 and 2001-2002.

2. The approval is subject to the condition that –

(i) the enterprise will conform to and comply with the provisions of section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income-tax Rules, 1962;

(ii) the Central Government shall withdraw this approval if the enterprise:-

(a) ceases to carry on infrastructure facility; or

(b) fails to maintain books of account and get such accounts audited by an accountant as required by sub-rule (7) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962; or

(c) fails to furnish the audit report as required by sub-rule (7) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962.

3. The enterprises/industrial undertakings approved are:-

(i) Cellular Mobile Telephone Service in Rajasthan of M/s Hexacom India Limited, C-148, Naraina Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110028, under the license agreement No. 842-63B/95-VAS dated 16.9.96 between President of India, acting through Director(VAS-II), Department of Telecommunication and M/s Hexacom India Limited, (F.No. 205/167/99 – ITA-II)

(ii) 19.2 MW power plant consisting of four Gen. Sets using heavy fuel or furnace oil of M/s Kirloskar Power Supply Co. Ltd., Laxmanrao Kirloskar Road Khadki, Pune-411003. (F. No. 205/175/99 – ITA-II)

(iii) 227 MWs Short Gestation liquid fuel based power project at Bhimavaram and Jaggammagaripeta villages of Peddapuram and Samalkot Mandals, East Godavari District, Andhra Pradesh of M/s NCC Power Corporation Private Ltd., Nagarjuna Hills Hyderabad –500082. (F. No. 205/171/99 ITA-II)

----------2

(iv) 359 MW Naphtha based power plant at Peddapuram, East Godavari District, Andhra Pradesh of M/s Gautami Power Private Limited, II Floor, KPR House, S.P.Road, Secunderabad-500003 (F.No. 205/179/99 – ITA-II)

(KAMLESH C. VARSHNEY)
Under Secretary to the Govt. of India

Notification No. 11189

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Copy to:

1. The applicants.
2. All CCsIT and DGsIT
3. C & AG of India
4. Joint Secretary and Legal Advisor, Ministry of Law, New Delhi.
5. Addl. Secretary (Admn.), Deptt. of Revenue, New Delhi.
6. DIT (RSP&PR) (Bulletin Section), New Delhi
7. Department of Telecommunication, Ministry of Communication, New Delhi
8. Ministry of Power, New Delhi.

(KAMLESH C. VARSHNEY)
Under Secretary to the Govt. of India.

भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3(ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 30 दिसंबर, 1999

अधिसूचना

क्रमांक ... "सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा पैरा (3) में नीचे उल्लेखित उद्यमों/औद्योगिक उपक्रमों को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2(ba) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 छ) के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के लिए अनुमोदित किया गया है।

2. (i) उक्त अनुमोदन इस शर्त पर दिया गया है कि :

(ii) उद्यम/औद्योगिक उपक्रम आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 छ) के उपबंधों के अनुरूप होगा और उनका अनुपालन करेगा;

(iii) केन्द्र सरकार इस अनुमोदन को वापस ले लेगी यदि उद्यम/उपक्रम :

(क) मूलभूत सुविधा को जारी रखना बंद कर देता है, अथवा

(ख) खाता-बहियों को रखने में और आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ड. के उपनियम (7) द्वारा यथापेक्षित किसी लेखाकार द्वारा ऐसी बहियों की लेखा परीक्षा कराने में असफल हो जाता है; अथवा

(ग) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ड. के उपनियम (7) द्वारा यथापेक्षित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है।

3. अनुमोदित औद्योगिक उपक्रम/उद्यम निम्नानुसार हैं :-

(i) निदेशक (बी.ए.एस.-II), दूरसंचार विभाग और मैसर्स हैक्साकॉम इन्डिया लि0 के माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति के बीच लाइसेंस करार सं. 842-63 बी/95-बी.ए.एस. दिनांक 16.9.96 के तहत मैसर्स हैक्साकॉम इन्डिया लि0, सी-148, नरायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज I, नई दिल्ली-110028 की राजस्थान में सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (फा.सं. 205/167/99-आईटीए-II)

(ii) मैसर्स किर्लोस्कर पावर सप्लाई कम्पनी लि0, लक्ष्मणराव किर्लोस्कर रो, खादड़ी

(iii) मैसर्स एन.सी.सी. पावर कारपोरेशन प्रा.लि., नागार्जुन हिल्स हैदराबाद-500082 के पेडापुरम और सामलकोट मंडलस के गांव भीमावरम और जगामुगर पेटा ईस्ट गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश में तरल ईंधन पर आधारित 227 मेगा वाट्स गोरी गैस्टेशन पावर प्रोजेक्ट (फा.सं. 205/17/99-आईटीए II)

(iv) मैसर्स गौतमी पावर प्राईवेट लि0, द्वितीय तल, के.पी.आर.हाउस, एस.पी.रोड, सिकन्द्राबाद -500003 के पेडापुरम, ईस्ट गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश में नेपथा पर आधारित पावर प्लान्ट । (205/179 99-आईटीए.II) ।

अधिसूचना सं. 11188

(कमलेश सी.वार्ष्णेय)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
गोयाएुरी, नई दिल्ली.

प्रतिलिपि, अंग्रेजी फाठाबुसार प्रेषित ।